सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

F. No. **NCST/DEV-1443/MP/8/2023-ESDW** **Dated: 10.05.2023**

To,

The Collector and District Magistrate,
District – Jhabua
Collectorate Office,
Jhabua – 457661
Madhya Pradesh
E-Mail: dmjhabua@nic.in

The Superintendent of Police,
District-Jhabua,
O/o Superintendent of Police,
Jhabua, Madhya Pradesh
E-Mail: Jhabua.sp@gmail.com

विषय: जमीन पर अवेध कब्जा करने के लिए मार पीट करने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध मे श्री मोतीलाल, पिता वरदु, ग्राम झकनावद, झाबुआ, मध्य प्रदेश का दिनांक 17.03.2023 का अभ्यावेदन के सन्दर्भ में दिनांक 20.04.2023 को आयोजित आयोग के जांच दल की स्थलीय जांच रिपोर्ट।

Sir/Madam,

I am directed to enclose a copy of the Field Visit Report of the Investigation Team consisting of Shri Ankit Kumar Sen, Research Officer, Ms. Ankita Solanki, Senior Investigator and Shri Avinash, Legal Consultant, National Commission for Scheduled Tribes constituted to investigate the matter cited above.

2. In this regard, it is requested that action taken/to be taken on the recommendations/finding made in the Report may please be sent **within 15 days** from the receipts of this letter for placing the same before the Hon'ble Commission.

Encl: As above

Yours faithfully,

Miranda. Ingudam

(Smt. Miranda Ingudam)
Director

Copy for information to: -

1. **Shri Motilal,**
   S/o Vardu,
   Jhaknavad Village,
   District Jhabua,
   Madhya Pradesh
2. NIC CELL, NCST.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फाइल क्रमांक NCST/DEV-1443/MP/08/2023-ESDW

मध्यप्रदेश जिला झाबुआ के ग्राम झकनावदा तहसील पेटलावद मे किए गए दौरे का विवरण

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निर्देशानुसार श्री अंकित कुमार सेन, अनुसंधान अधिकारी, सुश्री अमृता सोलंकी, वरिष्ठ अन्वेषक, श्री अविनाश,विधिक सलाहकार द्वारा दिनांक 20.04.2023को मध्यप्रदेश,जिला झाबुआ के ग्राम झकनावद मे अनुसूचित जनजाति के सदस्य मोतीलाल के साथ गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा जमीन हड़पने के लिए मारपीट करने की शिकायत की स्थलीय जांच की गई।

आयोग को प्राप्त शिकायत के तथ्य

दिनांक 17.03.2023 को शिकायतकर्ता मोतीलाल निवासी झकनवाद द्वारा एक लिखितशिकायत आयोग को प्रस्तुत की गयी। उक्त शिकायत मे लेख है कि दिनांक 10.03.2023 को ग्राम के ही अन्य व्यक्तिय प्रदीप राठौर निवासी तारखेड़ी एवं उसके 15-20 साथियों द्वारा प्रार्थी एवं उसके परिवार पर हमला किया गया। जिसमे उसके पुत्रों राधेश्याम, महेश एवं पुत्री को मारा पिता गया एवं उसके घर मे तोड़ फोड़ भी की गयी। प्रार्थी ने इस घटना की सूचना झकनवास चौकी मे दी पर उसकी कोई सहायता नही की गयी। वह परेशान होकर आत्मदाह करने को मजबूर है। इस मामले मे उचित कार्रवाई की प्रार्थना आयोग से की गई थी।

आयोग द्वारा की गई पूर्व मे की गई कार्यवाही

1. दिनांक 23.03.2023 आयोग द्वारा झाबुआ कलेक्टर रजनी सिंह तथा झाबुआ पुलिस अधीक्षक अगम जैन को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजा गया।
2. दिनांक 28.03.2023 को झाबुआ कलेक्टर रजनी सिंह तथा झाबुआ पुलिस अधीक्षक अगम जैन को दिनांक 10.04.2023 की सुनवाई मे आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन भेजा गया।
3. दिनांक 10.04.23 आयोग की सुनवाई मे शिकायतकर्ता एवं झाबुआ पुलिस अधीक्षक उपस्थित हुये।सुनवाई मे प्रस्तुत तथ्यो की आधार पर आयोग के माननीय सदस्य द्वारा स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिये गए।
4. आयोग द्वारा तीन सदस्यी जांच दल का गठन किया गया।

जांच दल द्वारा की गई कार्यवाही

दिनांक 20.04.2023 को जांच दल झकनवाद पहुचा। प्रार्थी मोतीलाल एवं उसके पुत्र राधेश्याम से घटना के स्थान पर जाकर दल द्वारा बातचीत की गयी।

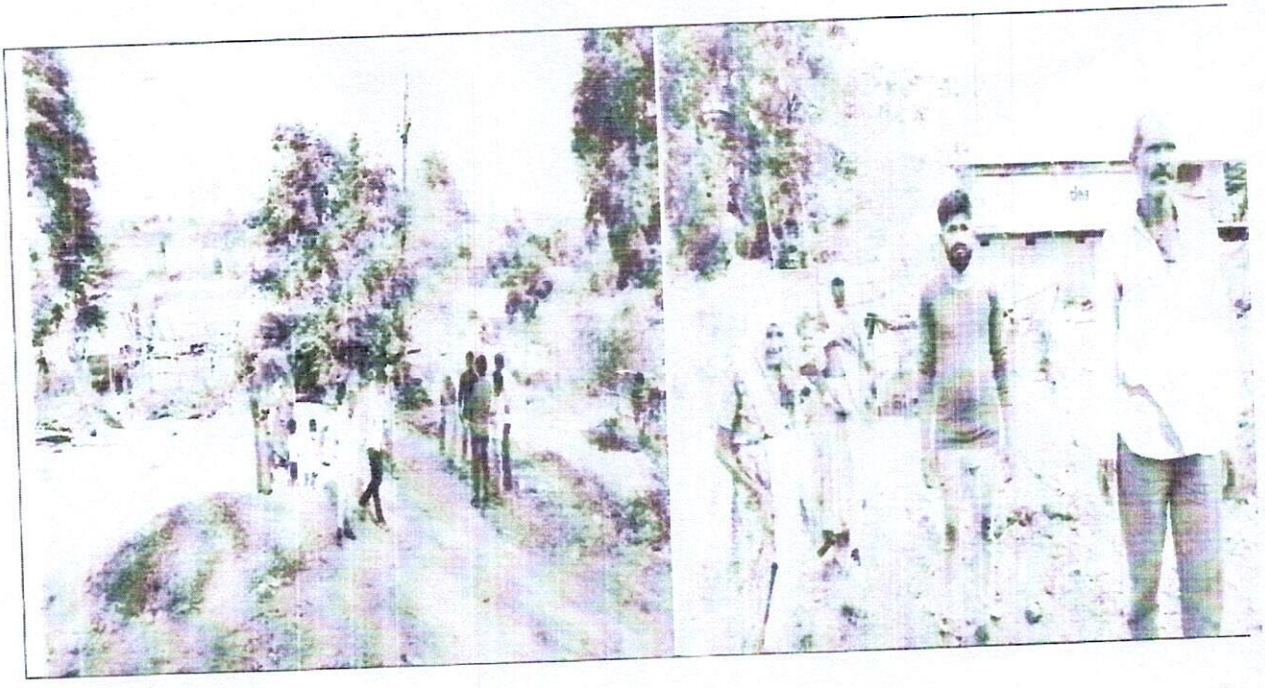

जांच दल ने घटना स्थल का निरीक्षण किया जिसमे सड़क और प्रार्थी के खेत के मध्य भूमि है। उक्त भूमि पर प्रार्थी ने अपनी छोटी छोटी दो झोपड़ी खेत की सीमा के पास ही बना रखी है तथा उसी भूमि पर थोड़ी दूरी पर पशुओ को बांधने हेतु शेड भी बनाया था। जमीन के बारे मे पूछने पर प्रार्थी ने बताया की यह भूमि उसकी नहीं है,गाँव की है परंतु वो और उसका परिवार पिछली 3 पीढ़ी से वहाँ रह रहा है तथा गाँव मे भी प्रधानमंत्री आवास योजना मे मिला हुआ मकान है। उक्त पशु शेड की भूमि को प्रदीप राठोर स्वयं के द्वारा खरीदना बता रहा है ।बातचीत मे प्रार्थी ने बताया की प्रदीप एक नेता है एवं रसुखदार है। उसके 15-20 लोगो ने प्रार्थी और प्रार्थी के परिजनो से मारपीट की जिसकी रिपोर्ट भी झकनावद चौकी मे प्रार्थी द्वारा की गयी। पुलिस ने प्रकरण मे प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यो का मेडिकल करवाया पर प्रदीप के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

आयोग के समक्ष जांच दल का विश्लेषण एवं निष्कर्ष

1. प्रस्तुत प्रकरण मे यह स्पष्ट है की जिस भूमि पर पशुओ का शेड बना है उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। दस्तावेजो के आधार पर ही उसका निराकरण संभव है। प्रार्थी यह स्वीकार करता है की विवादित भूमि उसकी नहीं है। खेत पास मे होने से जहां आज दो छोटी झोपड़ी है उसमे उसके माता पिता रहते थे।

2. पुलिस द्वारा मेडिकल करवाया गया किन्तु प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया गया जिसके बारे मे पुलिस से स्पष्ट रूप से की गई कार्यवाही व किए गए मेडिकल के अवलोकन की आवश्यकता है।

3. प्रदीप राठोड़ का रसुखदार होने के तथ्य है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है की अपने रसूख के चलते कोई हानि वह प्रार्थी के परिवार को न पहुचाए।

(अंकित कुमार सेन)
अनुसन्धान अधिकारी

(अमृता सोलंकी)
वरिष्ठ अन्वेषक

(अविनाश)
विधिक सलाहकार